**जोधपुर**
**विद्युत वितरण**
**निगम लि०**

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० /प्रे० 3622 जोधपुर, दिनांक 14.01.2011

# आदेश

**विषय :– कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना"।**

*******

कृषि क्षेत्रो मे उपभोक्ताओ द्वारा अनाधिकृत भार बढाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवेदन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमे अनाधिकृत भार वृद्वि से कमी एव विसंगतिया उत्पन हो रही है तथा राजस्व की हानि भी हो रही है। कृषि उपभोक्ताओ को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यसे "स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना" पूर्व में दिसम्बर 2009 तक लागू की गई, जिसके तहत कृषि उपभोक्ता यदि अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार मे अनाधिकृत भार वृद्वि की स्वैच्छिक घोषणा करने का इच्छुक हो तो ऐसे उपभोक्ताओ से कोई पेनल्टी राशि नही ली जाने तथा बढे हुए भार के लिये मात्र घरोहर राशि लेकर भार को नियमित कर दिये जाने, उपभोक्ता की बिलिंग बढे हुए भार के अनुसार किये जाने के आदेश दिये गये। ऐसे कृषक जो उसी कुए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्वि करते है अथवा दूसरे कुऐ पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/ मुरब्बा मे हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढाते है उन्हे इस योजना का लाभ नही दिया गया था।

निगम द्वारा आदेश क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० /प्रे०826 जोधपुर, दिनांक 4.6.2010 (आर.ई.ओ–183) द्वारा कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना" दिनांक 01.06.2010 से 30.09.2010 की अवधि के लिये लागू की गई थी, जिसे आर.ई.ओ. संख्या 188 द्वारा उक्त समयावधि की निरन्तरता मे भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.10.2010 से 31.12.2010 तक बढाया गया था।

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2010 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में उक्त योजना की अवधि आर.ई.ओ 188 में उल्लेखित अवधि की निरन्तरता में भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक बढ़ायी जाती है जिसमे पिछले आदेशो के साथ निम्न निर्णय भी शामिल किये गये है।

1. इस स्वैच्छिक भार वृद्वि योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओ को जिनके कनेक्शनो को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है उनसे यदि विद्युत लोड की चैकिग के दौरान भी लोड बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनेल्टी राशि नही ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित किया जावे।

2. जिन कृषि उपभोक्ताओ के कनेक्शनो को एक वर्ष की अवधि नही हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु उनके लिये उन्हे घरोहर राशि के अतिरिक्त रुपये 2500/– प्रति हॉर्स पॉवर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होगे।

3. यदि पद (2) मे इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नही उठाते है तो उक्त योजना की समाप्ति पर चैकिग के दौरान उनका लोउ स्वीकृत लोड से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओ को प्रति एच.पी. रुपये (2500+2500) = कुल रुपये 5000/– मात्र पैनेल्टी जमा करानी होगी।

उक्त " स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना" दिनांक 01 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक प्रभावी रहेगी।

उक्त योजना की सूचना/जानकारी उपभोक्ताओ को भी दे दी जाये।

**आदेशानुसार,**

(ए.के.माथुर)
**अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)**
**जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष डिस्कॉम्स एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. निदेशक (वित्त / तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
7. संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.स / बी.स) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
8. मुख्य लेखाधिकारी,(ए एण्ड आर / .................. / ......................) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर / जयपुर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.एण्ड प्लान) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
10. अधीक्षण अभियन्ता (योजना), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आर ए एण्ड सी / टी.डब्लू / वाणिज्य / एमएमसी / एमएण्डपी / बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / जैसलमेर।
12. अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / परि. एवं संधा.)जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / जालौर / बाड़मेर / बीकानेर / चुरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ उक्त आदेशो का कृषि उपभोक्ताओ के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा उभोक्ताओ को अधिक से अधिक लाभ दिया जाये।
13. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) / उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
15. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा. / एम.एम. / अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
17. कम्पनी सचिव / उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
18. प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता( / पवस / विधि / सर्तकता / अंकेक्षण )जोविविनिलि.......................................
(आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।) उक्त आदेशो का कृषि उपभोक्ताओ के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा उभोक्ताओ को अधिक से अधिक लाभ दिया जाये।
20. जनसम्पर्क अधिकारी जोविविनिलि,जोधपुर

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर